विहंगावलोकन

वर्ष 2013-14 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹2,09,788 करोड़ था। इसमें से, भारतीय वायु सेना (आई ए एफ) ने ₹58,745 करोड़ खर्च किए जो रक्षा सेवाओं पर कुल व्यय का 28 प्रतिशत था। आई ए एफ के व्यय का प्रमुख भाग पूँजीगत स्वरूप का था, जो उनके व्यय का 65.68 प्रतिशत था।

इस प्रतिवेदन में आई ए एफ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय से संबंधित अभिलेखों के लेन-देन की नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत मुख्य निष्कर्ष निहित है। प्रतिवेदन में शामिल किए गए निष्कर्षों की मुख्य बातें नीचे हैं:

I 'ए ए' का परिचालन एवं अनुरक्षण

रक्षा मंत्रालय ने 1108 एम यू एस डी (₹5,042 करोड़) की लागत पर तीन 'ए ए' तथा इसकी उप-प्रणालियों की प्राप्ति हेतु एक अनुबंध सम्पन्न किया (मार्च 2004)।

प्राप्त किए गए उड़ान कार्य के परिप्रेक्ष्य में 'ए ए' की परिचालन क्षमताओं का मुख्यतया 'ए ए' की अप्रयोज्यता के बावत कम-श्रेष्ठ प्रयोग हुआ था। इसके अतिरिक्त 'ए ए' वायुयान की परिचालनात्मक कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु कार्यक्षेत्र वायु सेना कर्मीदल को वायु से वायु पुनः ईंधन भरने (ए ए आर) पर प्रशिक्षण के अभाव तथा वायु सेना स्टेशन 'एस-3' में रनवे लंबाई के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की अधिप्राप्ति न होने के बावत बाधित हुआ।

कार्य सेवाओं की योजना में यथोचित कर्मठता की कमी के बावत अभीष्ट स्थल ('एस-1') में ग्राउंड एक्सप्लॉइटेशन स्टेशन (जी ई एस) के अधिष्ठापन में विलंब हुआ था। वायु सेना कर्मीदल की कमी थी जिससे युद्धस्थितियों के दौरान 'ए ए' वायुयान का संचालन प्रभावित हो सकता है।

'ए ए'; जो अंतरिम रखरखाव सेवाएँ अनुबंध के साथ व्यवस्थित किया जा रहा था; की मरम्मत व रखरखाव हेतु कोई दीर्घ-कालिक प्रबंध विद्यमान नहीं था। संचार प्रणाली हेतु त्रुटिपूर्ण स्वचालित परीक्षण उपकरण की आपूर्ति, मित्र अथवा शत्रु (आई एफ एफ) प्रणाली की पहचान हेतु 'आई' स्तरीय सुविधा की गैर-आपूर्ति तथा स्टोर्स/रोटेबल्स के लघु प्रावधान ने 'ए ए' की प्रयोज्यता पर विपरीत प्रभाव डाला।

कुछ मूलभूत ढ़ाँचागत सुविधाएँ 'ए ए' के अधिष्ठापन के साथ समकालिक नहीं थीं क्योंकि परिवर्तित हैंगर्स, स्वतंत्र भंडार-सुविधा तथा ए एफ स्टेशन 'एस-3' में पृथक् प्रशिक्षण-सह-आवास केंद्र हेतु कार्य सेवाओं के समापन में विलंब था, जिसने 'ए ए' की निर्बाध क्रियाशीलता को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 2.1)

II आई ए एफ में परिचालनात्मक कार्य

परिचालन कार्य परिचालन अनिवार्यता की अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए जाते हैं; तथा आई ए एफ की परिचालनात्मक तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। 2010-11 से 2013-14 के दौरान आई ए एफ द्वारा परिचालन कार्यों हेतु ₹90.35 करोड़ व्यय किए गए थे। लेखा परीक्षा ने वार्षिक परिचालनात्मक कार्य योजनाओं में असंगत कार्यों का समावेशन तथा परिचालनात्मक कार्यों के समस्त पड़ावों; यथा परिचालनात्मक कार्यों के क्षेत्र की घोषणा में विलंब, ए ओ डब्ल्यू पी के अनुमोदन, अनुबंधो के अधिनिर्णय तथा परिचालन कार्यों के संपादन हेतु अनिर्धारित समय-सीमा पायी।

(पैराग्राफ 2.2)

III 'सी' वायुयानों का परिचालन एवं अनुरक्षण

शक्ति-संतुलन का एक विश्वसनीय स्तर बनाए रखने के लिए, भारतीय वायु सेना (आई ए एफ) ने 1996 से 'सी' वायुयानों की प्राप्ति की। ओ ई एम/बी ई एल से प्राप्त वायुयानों तथा हवाई प्रणाली के निष्पादन में कमी का अभी तक (अगस्त 2015) समाधान किया जाना था। अपेक्षित प्रणालियों/उपकरण की कमी के कारण सेवा सहायता केन्द्रों की स्थापना में असाधारण विलम्ब हुआ। वायुयान बेड़े की प्रयोज्यता भी कम थी। 'सी' स्क्वाड्रन के लिए मानवशक्ति उसके अधिष्ठापन के 19 वर्ष पश्चात् भी संस्वीकृत नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.3)

IV 'डी डी' वायुयान का उन्नयन एवं अनुरक्षण

भारतीय वायुसेना (आइ ए एफ) द्वारा लिया गया उन्नयन कार्यक्रम न तो पूर्णतः सफल न ही व्यापक था। आइ ए एफ ने वायु हवाई सुरक्षा तथा जमीनी आक्रमण भूमिका में प्रयोग हेतु अप्रमाणित 'बी बी' रडार का चयन किया। रडार की कार्य करने की क्षमता इसके हवा से स्थल क्षेत्र प्रणाली तक एवं दृश्य क्षेत्र क्षमता में अनेक कमियों के कारण संतोषजनक नहीं थी। क्रिटिकल एअर बोर्न इलेक्ट्रानिक वारफेयर (ई डब्ल्यू) प्रणाली की अनुपयुक्तता/कमी के कारण वायुयान बेड़ा ई डब्ल्यू खतरे से असुरक्षित था। पुर्जों की अपर्याप्तता के कारण खराब वायुयान (ए ओ जी) की कम सेवा योग्यता एवं अधिक प्रतिशतता थी जिसके परिणामस्वरूप उड़ान प्रयासों में कमी आई। प्रचालन यूनिटों में प्रचालन तथा तकनीकी मानवशक्ति की कुल मिलाकर कमी थी जिसने वायुसेना के प्रचालन तथा रखरखाव को प्रभावित किया। एच ए एल में निर्मित 'डी' लेवल सुविधा डायग्नॉस्टिक एवं मरम्मत तक सीमित थी और इसलिए मरम्मत के लिए दीर्घावधि तक उन्नत प्रणाली की बड़ी मरम्मत/ओवरहाल हेतु ओ ई एम पर निर्भरता बनी रही जिसने बेड़े की सेवा उपयोगिता को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 2.4)

V टेण्ट आधारित चिकित्सा शिविर की अनुचित प्राप्ति

टेन्ट आधारित चिकित्सा शिविर (टी बी एम एस) जो हल्के वजन का नियोजित था तथा आपदा क्षेत्रों में चिकित्सा राहत हेतु तात्कालिक व अस्थायी परिनियोजन के लिए अभिप्रेत था, उसका प्रयोग नहीं किया जा सका, क्योकि नाजुक चिकित्सा उपकरण को विलोप किया गया तथा कर्मीदल आवास, फ्लोरिंग, अस्पताल फर्नीचर, इत्यादि सहित हाउसिंग पैकेज को प्रारंभिक कार्यक्षेत्र में जोड़ा गया, जिसने इसे अत्यधिक वजनदार बना दिया। परिणामस्वरूप प्रयोक्ता तत्काल कार्यवाई चिकित्सा दल (आर ए एम टी) ने इसको वहन करने तथा परिनियोजन में कठिन पाया। इस प्रकार, आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने हेतु टी बी एम एस की प्राप्ति पर ₹10 करोड़ व्यय करने के उपरांत भी, राष्ट्र इसके भारी वज़न के कारण इसके अभीष्ट लाभों से वंचित रहा।

(पैराग्राफ 2.5)

VI स्पीच गोपनीयता उपकरण की अधिक प्राप्ति

आई ए एफ द्वारा 127 स्पीच गोपनीयता उपकरण की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹4 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.6)

VII आसूचना प्रणाली की प्राप्ति

आई ए एफ द्वारा निर्धारित वायुयान प्लेटफॉर्म के अनुचित पहचान/विलंबित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप नवीनतम आसूचना प्रणाली की स्थापना में विलंब हुआ। आगे प्रणाली 'सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन' के बारह वर्षो के उपरांत अभिगृहीत किया गया तथा ₹88.70 करोड़ का व्यय करने के उपरांत सॉफ्टवेयर मामलों के साथ संतप्त रहा है जिससे इसके निष्पादन पर चिंता उठती है, जैसा कि सम्भावना थी। प्रणाली हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए एम सी) वारंटी समाप्ति (दिसम्बर 2014) के उपरांत अभी भी सम्पन्न होना था (मई 2015)।

(पैराग्राफ 2.7)

VIII रनवे के विस्तारित भाग पर पुनः सतहीकरण में स्वेच्छाचारी योजना

बिना कोई खराबी/विकृति की पहचान किये पूर्व पुनः सतहीकरण के तीन वर्ष के अन्दर रनवे के नये बढ़े हुए भाग का पुनः सतहीकरण स्वेच्छाचारी था जो कार्य करने में कर्मठता की कमी दर्शाता था तथा इसलिए परिणामतः ₹1.48 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ। यह सक्षम वित्तीय प्राधिकारी यानि एम ओ डी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना भी किया गया।

(पैराग्राफ 2.8)

IX कम्प्रेशर वर्किंग फ्ल्यूड की गलत प्राप्ति।

वायु सेना मुख्यालय की ओर से ₹2.52 करोड़ मूल्य के कम्प्रेसर वर्किंग फ्लूड की अपेक्षित अंतर के साथ आपूर्ति आदेश न दिए जाने में विफलता से इसकी जीवन काल की समाप्ति।

(पैराग्राफ 2.9)

X निम्न स्तरीय परिवहनीय रडार के प्रवर्तन में असाधारण विलंब

आई ए एफ द्वारा वायु रक्षा निगरानी की गंभीर आवश्यकताओं की संभावित स्थिति के विषय में सोचकर (1998) जो कि 37 निम्न स्तरीय परिवहनीय रडार (एल एल टी आर) के माध्यम से की जानी थी तथा ₹454.48 करोड़ का व्यय करने के बावजूद 19 एल एल टी आर की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के कारण विगत 17 वर्षों से अधूरा रहा। यहाँ तक कि प्रथम एल एल टी आर अब तक प्रवर्तित नहीं किया गया (जून 2015), जिसके फलस्वरूप शत्रुपक्षीय निम्न स्तरीय अंतर्प्रवेश को पहचानने की वायु रक्षा निगरानी क्षमता के साथ समझौता किया।

(पैराग्राफ 2.10)

XI लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर बचत

वायु सेना मुख्यालय/मंत्रालय ने लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर आवश्यताओं में कटौती की जिसके परिणामस्वरूप क्रैश हुए 'ई' वायुयान हेतु आदेशित उपकरणों/स्पेयर्स के एक सैट की समरूपी कटौती से ₹11.45 करोड़ की बचत हुई।

(पैराग्राफ 2.11)

XII डी आर डी ओ द्वारा मिशन मोड परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा प्रणालियों की सुपुर्दगी

डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं द्वारा की गई 14 मिशन मोड परियोजनाओं की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सभी परियोजनाएं अपनी समय सीमा में विफल रहीं और उनकी समाप्ति की संभावित तिथि (पीडीसी) कई बार बढ़ाई गई। पांच परियोजनाओं में उनकी लागत भी बढ़ गई।

आगे यद्यपि, आईएएफ की परिचालनात्मक अपेक्षाएं/गुणात्मक अपेक्षाएं / बृहत्तर तकनीकी अपेक्षाएं सभी परियोजनाओं में विद्यमान थीं, आईएएफ की अपेक्षाएं उनकी संतुष्टि के अनुसार केवल एक पूरी की गई परियोजना अर्थात् परियोजना 'रोहिणी' में ही थी। उसी परियोजना में प्रौद्योगिकी भी अन्तरित कर दी गई जिसके कारण बीईएल द्वारा उनका उत्पादनीकरण और अन्ततः आईएएफ में अधिष्ठापन हुआ। अन्य बन्द की गई परियोजनाओं में विकसित प्रणालियॉ आईएएफ द्वारा अभी स्वीकार की जानी थी।

विलम्ब की अंशतः व्याख्या विभिन्न समितियों द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग तथा अंशतः आईएएफ (तीन परियोजनाओं) द्वारा अपेक्षाओं के परिवर्तन द्वारा की जा सकती थी। दो परियोजनाओं में सामंजस्य का अभाव (जहां विविध एजेंसिया शामिल थी) भी देखा गया।

इसलिए परियोजनाएं मिशन मोड की भावना में कार्यान्वित नहीं की गई थीं जिससे आईएएफ की हवाई सुरक्षा योजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

(पैराग्राफ 3.1)

XIII हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड(एच ए एल), बेंगलूरू में सम्पदा प्रंबधन

एच ए एल की भूमि स्वामित्व के संग्रह, निर्णय प्रतियों तथा किराएदारी के अधिकारों के अभिलेख तथा फसल प्रमाणपत्र (आर टी सी) के अनुसार, एच ए एल के स्वामित्व की सीमा में त्रुटियाँ देखी गई।

एचएएल के पास बेंगलूरु परिसर में ₹1,499.53 करोड़ बाजार मूल्य की 402 एकड़ तथा 3836 गुंटा (220 सर्वेक्षण संख्याएं) भूमि के लिए निर्णय प्रतियां उपलब्ध नहीं थीं। नासिक में 265 एकड़ तथा 17 गुंटा भूमि (मार्च 2015) के लिए कोई करारनामा नहीं था यद्यपि वह एच ए एल के कब्जे में थी।

एच ए एल ने बेंगलूरू में गन्दी बस्तियां होने के बावजूद 10 एकड़ तथा 19 गुंटा भूमि का अधिग्रहण किया था तथा चूंकि एच ए एल गंदी बस्तियां खाली नहीं करा सका, भूमि पर अतिक्रमण बना रहा। कोरापुट में, डिवीजन द्वारा धारित 3,121.15 एकड़ भूमि में से, 50.21 एकड़ पर 25 वर्षों से स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण था।

एच ए एल ने अन्य संगठनों को पट्टे पर दी गई 552.41 एकड़ भूमि के संबंध में पट्टा विलेख कार्यान्वित नहीं किया तथा उन 13 मामलों में जहां भूमि बेच दी गई पट्टा विलेख कार्यान्वित नहीं किया।

एच ए एल ने अपने चारों ओर नागरिक अवसंरचना के विकास के संदर्भ में अपने पास उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं की प्रर्याप्त तथा खाली भूमि की उपयुक्ता की तुलना में क्रियात्मक तथा गैर-क्रियात्मक दोनों आवश्यकताओं के लिए दीर्घावधि विकास योजनाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक भूमि उपयोग नीति नहीं बनाई थी।

(पैराग्राफ 4.1)

XIV एच ए एल द्वारा संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश

11 जे वी सी में ₹225.14 करोड़ के कुल निवेश के प्रति, एच ए एल में वर्ष 2013-14 के लिए अपने वार्षिक लेखाओं में पांच जे वी सी में किए गए ₹49.90 करोड़ की राशि के निवेश के मूल्य में पहले ही कमी का प्रावधान कर लिया है।

एक निर्यातोन्मुख इकाई के रूप में गठित बी ए ई एच ए एल, ने विदेशी व्यापार नीति 2004-09 तथा 2009-14 के उल्लंघन में 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान की गई कुल बिक्री के 63 प्रतिशत तक घरेलू बिक्री की।

एच ई टी एल (अर्थात एक जे वी सी) का गठन, हवाई प्रयोग के लिए 3 डी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के विकास और निर्माण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के औचित्य, बाजार मांग, जे वी साझीदारों के तकनीकी तथा वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन किए बिना जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित है किया गया था। अतः जेवीसी, एच ए एल की निर्णायक योजनाओं के लिए उसे दिए आदेशों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं थी।

एच ए एल बी आई टी, जिसका गठन, हवाई वैज्ञानिकी उत्पादों तथा प्रणालियों के विपणन, डिजाईनिंग एवं एकीकरण के लिए किया गया था, को एक समय-बद्ध कार्यक्रम जैसे डेरिन-III कार्यक्रम के लिए हार्डवेयर का विकास सौंपा गया था हालांकि जे वी सी को इस क्षेत्र में पहले कोई अनुभव नहीं था। परिणामतः डेरिन-III कार्यक्रम में जे वी सी द्वारा आपूर्तियों में विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ।

रक्षा सेवाओं से कोई पक्की वचनबद्धता प्राप्त किए बिना एच ए टी एस ओ एफ एफ में निवेश के परिणामस्वरूप जे वी सी द्वारा अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए तथा इसके अतिरिक्त वायुयान डाटा लाइसेंस की वास्तविक लागत का पता न लगाने के कारण एच ए एल को ₹10.93 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आई आर ए एल, जिसका गठन पूर्व यू एस एस आर गणराज्यों को छोड़कर भारत तथा विदेश में वैमानिकी उपकरण की आपूर्ति, मरम्मत तथा ओवरहॉल के लिए सेवायें प्रदान करने और वैमानिकी उपकरण तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के उपयोग हेतु तकनीकी एवं इंजीनियरिंग सहायता सुनुश्चित करने के लिए किया गया था, केवल व्यापार क्रियाकलापों में लगी रही तथा एच ए एल प्रमुख ग्राहक था।

(पैराग्राफ 4.2)

XV डेरिन-III के लिए नियत सुपुर्दगी कार्यक्रम के साथ अनुबंध स्वीकार करने के कारण निर्णीत हर्जाने हुए

तैयारी के मानदंड (एस ओ पी) के इस्तेमाल के बिना नियत सुपुर्दगीकार्यक्रम की स्वीकृति तथा परिवर्तन आदेशों के माध्यम से कार्य न किए जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक ₹7.19 करोड़ का निर्णीत हर्जाना हुआ तथा अनुबंध के आगे बढ़ने के साथ एच ए एल को अतिरिक्त हानि पहुँचाने की क्षमता रखता है। एच ए एल का यह निर्णय इसकी वित्तीय आवश्यकताओं के विरुद्ध था।

(पैराग्राफ 4.3)